न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–21 / 2015–16

गीता देवी बनाम उदय कुमार

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

14/03/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 43 / 2014–15, में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 25.04.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष – गीता देवी, पति स्व0 बलदेव सिंह, ग्राम–गाजाचक मोहम्मदपुर, थाना–जानीपुर, सम्प्रति शाहपुर, थाना–शाहपुर, जिला–पटना।

द्वितीय पक्ष – उदय कुमार, पिता स्व0 बाल्मिकी सिंह, ग्राम–गाजाचक मोहम्मदपुर, थाना–जानीपुर, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
फुलवारीशरीफ	गाजाचक महम्मदपुर	60	40	159	10.5 डी0
				164	5.0 डी0
				290	13.00 डी0
				437	10.05 डी0
				279	17.5 डी0
				785	8.0 डी0
				746	12.00 डी0
				718	3.5 डी0
				745	1.5 डी0
				531	2.5 डी0
	नहरपुरा	56	49	1055	$18\frac{3}{4}$ डी0

आवेदिका का कथन है कि

(1) उभय पक्ष प्रताप सिंह के वंशज है। प्रताप सिंह के द्वारा दिनांक 14.02.1946 के निबंधित दान–पत्र से रामजी सिंह, राम प्रसन्न सिंह, रामाधार सिंह, बाल्मिकी सिंह एवं बालदेव सिंह को अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड लिख दिया गया।

(2) वर्ष 1990 में बाल्मिकी सिंह एवं बलदेव सिंह के बीच आपसी बंटवारा हो गया तथा दोनों अपने–अपने हिस्से पर दखल में आ गये।

(3) बाल्मिकी सिंह द्वारा अपने हिस्से के भूखण्ड से दिनांक 20.11.1990 एवं दिनांक 08.04.1993 के तीन केवालों से आवेदिका, आवेदिका के पति एवं आवेदिका के पुत्रों के नाम जमीन की बिक्री की गयी। उक्त तीनों बिक्रीनामों में अंकित है कि बाल्मिकी सिंह के द्वारा अपने भाई से बंटवारा कर अपने हिस्से की जमीन के अंश की बिक्री की गयी है।

ज्ञापांक / ...
जिला०
प्रतिलिपि, भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
27/3/18
अपर समाहर्त्ता पटना
27/3/18

(4) खरीदगी के पश्चात क्रेतागण के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम की गयी तथा लगान अदा किया जाने लगा। आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरान्त उनके नाम से खरीदे गये, भूखण्ड की लगान रसीद तीनों पुत्रों के नाम से कटने लगी।

(5) आवेदिका के पति का वर्ष 1992 में देहांत हो गया। आवेदिका के द्वारा बंटवारा में पति को मिले हिस्से का दाखिल खारिज कराने हेतु अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के दाखिल खारिज कराने हेतु अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 266/2013–14 अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांचोपरान्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदिका का दखल–कब्जा प्रतिवेदित किया।

(6) इस वाद के विपक्षी के द्वारा अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को आपति आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर आवेदिका के द्वारा दायर दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए, अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज संबंधी आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(7) दाखिल खारिज वाद में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के दिनांक 11.09.2014 के आदेश के विरूद्ध आवेदिका के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 43/2014–15 दायर की गयी।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा भी सुनवाई के पश्चात तथ्यों एवं प्रमाणों पर गौर किये बिना दिनांक 25.04.2015 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के दिनांक 25.04.2015 के आदेश को अवैध बताते हुए, उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदिका के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 20.11.1990 का केवाला जो बाल्मिकी सिंह के द्वारा आवेदिका के पुत्र शिवशंकर शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा एवं अभिमन्यु शर्मा के नाम से लिखा गया है।

(2) दिनांक 20.11.1990 का केवाला जो बाल्मिकी सिंह के द्वारा बलदेव सिंह (आवेदिका के पति) को लिखा गया है।

(3) दिनांक 08.04.1993 का केवाला जो बाल्मिकी सिंह के द्वारा आवेदिका गीता देवी के नाम से लिखा गया है।

(4) शिव शंकर शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा एवं अभिमन्यु शर्मा के नाम से जमाबंदी सं0 737 पर निर्गत वर्ष 2013–14 की लगान रसीद

(5) शिव शंकर कुमार, ओम प्रकाश कुमार एवं अभिमन्यु कुमार के नाम से जमाबंदी सं0 472 पर निर्गत वर्ष 2013–14 की लगान रसीद

(6) गीता देवी के नाम से जमाबंदी सं0 463 पर निर्गत वर्ष 2013–14 की लगान रसीद

विपक्षी का कहना है किः–

(1) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 43/2014–15 में दिनांक 25.04.2015 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैध एवं विधि सम्मत है।

(2) उभय पक्ष के बीच अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है तथा संयुक्त रूप से जमाबंदी कायम है।

(3) विपक्षी के बचपन में ही उसके माता–पिता की मृत्यु हो गयी थी। आवेदिका के द्वारा विपक्षी की सम्पति को हड़पने के उद्देश्य से झूठे

बंटवारा की बात कहते हुए दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया था।

(4) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत करने पर आवेदिका के द्वारा अपील दायर की गयी। अपील वाद सं0 43/2014–15 में सुनवाई के उपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा उचित एवं विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है।

(5) पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं लिखित बहस के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदिका के द्वारा वर्ष 1990 के बंटवारा के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा किया जा रहा है, परन्तु ऐसा कोई बंटवारानामा दाखिल नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित भूखण्ड उन्हें या उनके पति को हिस्से में मिले थे।

(2) आवेदिका बंटवारा के लिए वर्ष 1990 एवं 1993 के तीन केवालों के मजमून को आधार बताती है, परन्तु उन केवालों के मजमून से यह स्पष्ट नहीं है कि किस फरीक को कौन सा अंश मिला।

(3) बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के लिए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 में स्पष्ट प्रावधान है कि "न्यायालय अथवा निबंधित विलेख से, अन्यथा बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक सभी हिस्सेदारों की, बंटवारा के लिए सहमति न हो।"

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील सं0 43/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 25.04.2015 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/3/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

5/3/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना